माध्यमिक शिक्षा अनुभाग

अधिसूचना

विविध

12 जुलाई, 2002 ई0

संख्या 685 / माध्यमिक / 2002–चूंकि, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर कर सकता है जो आवश्यक व समीचीन हों;

तथा, चूँकि, उत्तर प्रदेश इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 (अधिनियम संख्या 2, वर्ष 1921) उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है;

अतः, अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि उत्तर प्रदेश इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगा :–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :

(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह आदेश शैक्षिक सत्र 2001–2002 से प्रभावी माना जायेगा।

2. "उत्तर प्रदेश" के स्थान पर "उत्तरांचल" पढ़ा जाना :

उत्तर प्रदेश इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 में जहां–जहां शब्द "उत्तर प्रदेश" आया है वहां–वहां पर शब्द "उत्तरांचल" के रूप में पढ़ा जायेगा।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 685/मा0/2002, dated July 12, 2002 for general information :

NOTIFICATION

July 12, 2002

No. 685/Secondary/2002--WHEREAS, under section 87 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000 the Uttaranchal Government may by order make such adaptation and modification of the law by way of repeal or amendment as necessary or expedient;

AND, WHEREAS, Uttar Pradesh Intermediate Shiksha Adhiniyam, 1921 (Act no. 2 of 1921) is in force in the State of Uttaranchal under section 86 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers confer under section 87 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000 (Act no. 29 of 2000), the Governor is pleased to direct that the Uttar Pradesh Intermediate Shiksha Adhiniyam, 1921 shall have applicability to the State of Uttaranchal subject to the provisions of the following order :--

UTTARANCHAL (THE UTTAR PRADESH INTERMEDIATE SHIKSHA ADHINIYAM, 1921) ADAPTATION AND MODIFICATION ORDER, 2002

1. Short title and commencement :

(1) This order may be called Uttaranchal (Uttar Pradesh Intermediate Shiksha Adhiniyam, 1921) Adaptation and Modification Order, 2002.

Scanned with OKEN Scanner

(2) It shall be deemed to have come into force from Academic Session 2001-2002.

2. The words "Uttar Pradesh" shall be read "Uttaranchal" :

In Uttar Pradesh Intermediate Shiksha Adhiniyam, 1921, wherever the expression "Uttar Pradesh" occurs, it shall be read as "Uttaranchal".

12 जुलाई, 2002 ई०

संख्या 686/माध्यमिक/2002—चूंकि, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर कर सकता है जो आवश्यक व समीचीन हों;

तथा, चूँकि, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 (अधिनियम संख्या 34, वर्ष 1972) उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में लागू है;

अतः, अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगा :—

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :

(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह आदेश शैक्षिक सत्र 2001–2002 से प्रभावी होगा।

2. "उत्तर प्रदेश" के स्थान पर "उत्तरांचल का पढ़ा जाना" :

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 में जहाँ–जहाँ पर शब्द "उत्तर प्रदेश" आया है वहाँ–वहाँ शब्द "उत्तरांचल" के रूप में पढ़ा जायेगा।

3. "परिषद्" के स्थान पर "उत्तरांचल विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद्" पढ़ा जाना :

मूल पर अधिनियम में जहाँ–जहाँ शब्द "परिषद्" आया है, "उत्तरांचल विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद्" पढ़ा जायेगा।

आज्ञा से,
(एन0 रवि शंकर)
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 686/मा0/2002,** dated July 12, 2002 for general information :

NOTIFICATION

July 12, 2002

No. 686/Secondary/2002--WHEREAS, under section 87 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000 the Uttaranchal Government may by order make such adaptation and modification of the law by way of repeal or amendment as necessary or expedient;

AND, WHEREAS, Uttar Pradesh Basic Shiksha Adhiniyam, 1972 (Act no. 34 of 1972) is in force in the State of Uttaranchal under section 86 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers confer under section 87 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000 (Act no. 20 of 2000), the Governor is pleased to direct that the Uttar Pradesh Basic Shiksha Adhiniyam, 1972 shall have applicability to the State of Uttaranchal subject to the provisions of the following order :—

Scanned with OKEN Scanner